



भारत सरकार

कार्यालय आयकर आयुक्त,
केन्द्रीय राजस्व भवन, मेन रोड, राँची

सं०सं० आ०आ०/राँची/तक०/12A-78 /2011-12

राँची, दिनांक... 29/03/2012

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12A/12AA के तहत आदेश

वीर बुधू विकास केन्द्र, लोहरागाँव..... ने

आयकर अधिनियम, 1961 की उपर्युक्त धारा के तहत निबंधन हेतु अपना आवेदन विहित प्रपत्र में दिनांक 13-01-2012..... को अपने संविधान दिनांक 12-04-2002 की प्रतिलिपि के साथ दिया है।

अतः इस संस्था का पंजीकरण धारा 12A(2) के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 2012-13 से प्रभावी होगा, की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस कार्यालय में धारा 12A/12AA के अधीन रखे गये आवेदन पत्र की पंजी में इस आवेदन की आ०आ०/राँची/तक०/12A-78 /2011-12 संख्या में प्रविष्टि कर दिया गया है।



ह/ [वीर विरसा एक्का]
आयकर आयुक्त, राँची।

ज्ञापन सं० आ०आ०/राँची/तक०/12A-78/2011-12/6782-84

राँची, दिनांक..... 29/03/2012.....

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. सन्धि "वीर बुधू विकास केन्द्र, लोहरागाँव"
लोहरागाँव लोक ऑफिस के माध्यम,
लोहरागाँव - 835302
2. अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त, पारसेत्र-1, राँची।
3. सहायक/उप आयकर आयुक्त, अंचल-1, राँची।

अमय कुमार दास
[अमय कुमार दास]
आयकर अधिकारी (तकनीकी)
कृते: आयकर आयुक्त, राँची।